न्यायालयः—अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां, जिला डीडवाना—कुचामन ।

पीठासीन अधिकारी :— धर्मेन्द्र सिंह जाखड़, आरजेएस.

नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :— 85/2018

सी.आई.एस.संख्या :— 84/2018

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

1. संजय वर्मा पुत्र मोहनलाल, उम्र 23 साल, निवासी त्योद, पुलिस थाना सांभर, जिला जयपुर ।

—अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भादसं.

उपस्थितिः—

1. **अभियोजन अधिकारी— राज्य की ओर से।**
2. **श्री देवी सिंह सोलंकी — अधिवक्ता— अभियुक्त**

— निर्णय— दिनांक 15—05—2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रूडाराम ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 इस आशय की दर्ज करवायी कि दिनांक 07.02.2018 को रात्रि 9.20 बजे नंदकिशोर व उसकी माता रेवती देवी मोटरसाईकिल से भीवड़ा नाडा बालाजी से नावां की ओर आते समय पेट्रोल पंप के सामने इयोन गाड़ी नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक ने गफलत, लापरवाही व तेज गति से चलाकर, गलत दिशा में आकर मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे नंदकिशोर व उसकी माता रेवती देवी के गंभीर चोटें आई तथा उसी समय उसकी पत्नी सड़क पर साईड में चल रही थी, उसकी पत्नी सोहनी देवी भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई, जिससे उसके गंभीर चोटें आई। घटना के बाद नंनकिशोर, रेवतीदेवी व सोहनीदेवी को मारवाड़ अस्पताल नावां लेकर आये। जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, जहां ईलाज चल रहा है। उक्त दुर्घटना आनन्दीलाल व रामदेव ने देखी होना बताया........इत्यादि। जिस पर मु.न. 17/18 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया किया व बाद अनुसंधान मुलजिम संजय वर्मा के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर नतीजा पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2018 को मुलजिम के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लिया गया।

2. तत्पश्चात मुलजिम को दिनांक 27.02.2018 को ही उक्त धाराओ में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाये गये, तो मुलजिम ने आरोप अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 महेश कुमार, पी.ड. 02 डॉ रामदेव दून, पी.ड. 03 आनन्दीलाल, पी.ड. 04 रूडाराम, पी.ड. 5 शिव भगवान, पी.ड. 06 रेवंतीदेवी, पी.ड. 07 सोहनीदेवी, पी.ड. 08 विकाश कुमार, पी.ड. 09 नंदकिशोर, पी.ड. 10 राजू, पी.ड. 11 रामदेव, को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, नंदकिशोर की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–02, नंदकिशोर का एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–03, रेवंती चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–04, रेवंती देवी का एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–05, सोहनीदेवी चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी–06, सोहनीदेवी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–07, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–08, फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी प्रदर्श पी–09, रिपोर्ट प्रदर्श पी–10, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–11, प्रकरण में मतलूबा कार आरजे 14 टीई 1195 को मौतबीरान के जरिये फर्द थाना परिसर से जब्त किया गया जो कि प्रदर्श पी–12, धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–13, 134 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–14, अभियुक्त संजय के जमानत मुचलके प्रदर्श पी–15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दंप्रसं. लेखबद्ध किए गए। मुल्जिम ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वंय को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि मुल्जिम द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाई जाकर दुर्घटना कारित किया जाना एवं दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहतगण के साधारण एवं गंभीर चोटें आई होना साबित है। इसीलिए मुल्जिम को दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम दंड से दंडित किया जावें। मुल्जिम की ओर से दौराने बहस निवेदन किया गया कि अभियोजन के साक्षीयों की साक्ष्य में विरोधाभास है, वक्त घटना मुल्जिम द्वारा वाहन चलाए जाना स्पष्ट रूप से साबित नही है। न ही वाहन को तेज गति या लापरवाही से चलाये जाने के कोई साक्ष्य पत्रावली पर आयी है। अभियोजन साक्ष्य से मुल्जिम के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नही होता है। इसीलिए मुल्जिम को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें।

6. उभय पक्ष की बहस के तर्क प्रकरण में कारित अपराध में उल्लेखित घटना के सम्बन्ध में सुनने एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार से हैः–

1. आया अभियुक्त नें दिनांक 07.02.2018 को भीवड़ा नाडा बालाजी से नावां की तरफ आते समय पट्रोल पंप के सामने कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 को गफलत, तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए, नंदकिशोर व उसकी माती की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे उनके व बाद में पैदल चल रही सोहनीदेवी के टक्कर मारने से साधारण एवं गंभीर उपहति कारित हुई ?

2. यदि हां तो अभियुक्त का दण्ड क्या होगा?

7. अभियोजन पक्ष की ओर विचारणीय बिंदू के संबंध में पेश की गई साक्ष्य में परिवादी ने तहरीर रिपोर्ट में नंदकिशोर व उसकी माता भींवड़ा बालाजी से नावां आते समय पेट्रोल पंप के सामने कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक ने गफलत, तेजगति व लापरवाही से चलाकर उनके टक्कर मार दी तथा बाद में पैदल चल रही सोहनी देवी के भी टक्कर मार दी जिससे उनके गंभीर चोंटें आई होना अंकित किया है। इस संबंध में न्यायालय में दी गई साक्ष्य में पी0 ड 0–04 रूडाराम ने नंदकिशोर व रेवती मोटरसाईकिल से आ रहे होना तथा उसकी पत्नी सोहनी देवी पैदल–पैदल आ रही होना, उन तीनों के सांभर चौराहे पर एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया, अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण कार के नंबर पता नहीं होना, रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 होना, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–11 होना, एक्सीडेंट गाड़ी वाले की गलती से होना, नक्शा मौका दुर्घटनास्थल प्रदर्श पी–08 होना, जिस पर उसकी अंगूठी निशानी होना, दुर्घटना करने वाली गाड़ी का रंग सफेद होना बताया है। जिरह में दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होना, ना ही गाड़ी को देखा होना व न ही उसके चालक को देखा होना, दुर्घटना किसकी गलती से हुई नहीं बता सकना, नक्शा मौका प्रदर्श पी– 08 में पुलिस वालों ने क्या लिखा नहीं बता सकना, घटना तारीख 7 की होना व रिपोर्ट दो दिन बाद 9 तारीख को देना तथा आनन्दीलाल दुर्घटना के समय मौके पर ही होना बताया है।

8. घटना में आहत गवाह पी0 ड 0–07 सोहनीदेवी ने मुख्य परीक्षा में रेवती व उसका पुत्र मोहन कुमावत के लड़के की शादी में जाकर वापस आ रहे होना व स्वयं भी शादी में जाकर पैदल–पैदल वापस आ रहे होना, पट्रोल पंप के सामने चौराहे पर कुचामन की तरफ से एक कार ने आकर उन तीनों के टक्कर मार दी, जिससे तीनों का पैर टूट गया होना, अनपढ़ होने के कारण कार के नंबर पता नहीं होना, उसका मेडिकल मुआयना हुआ होना, जो प्रदर्श पी–06 होना जिस पर उसकी अंगूठा निशानी भी होना बताया है। जिरह में रात्रि में नौ बजे आ रही होना, घटना के समय अंधेरा होना, सड़क क्रास करते समय टक्कर मारते ही बेहोश हो जाना, किस वाहन ने टक्कर मारी पता नहीं होना, वह पुलिस थाने में नहीं गयी होना बताया है। घटना में आहत साक्षीगण गवाह पी0 ड 0–06 रेवंतीदेवी ने मुख्य परीक्षा में वह व उसका पुत्र नंदकिशोकर, मोहन कुमावत के लड़के की शादी में जाकर वापस आते समय जब वे पट्रोल पंप के सामने पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार ने आकर उनकी

मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी तथा वहां पर पैदल चल रही सोहनीदेवी के भी टक्कर मार के भाग गया। एक्सीडेंट में उसका व उसके लड़के का पैर टूट गया व सिर में चोट आई, व दुर्घटना में सोहनीदेवी का पैर टूट गया, कार के नंबर पता नहीं होना, उन तीनों को मारवाड़ अस्पताल लेकर जाना, उनका मैडिकल मुआयना हुआ होना, जो प्रदर्श पी—04 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी होना बताया है। जिरह में घटना के समय अंधेरा होना, दुर्घटना कारित कार कौन चला रहा होना पता नहीं होना, मौके पर कोई नहीं होना व उसका बेहोश होना, पुलिस वालों ने उसके अंगूठे लगवाये होना बताया है। गवाह पी0 ड 0—09 नंदकिशोर ने मुख्य परीक्षा में उस दिन मोहनलाल कुमावत के यहां शादी में जाकर वापस आते समय पट्रोल पंप के सामने पहुंचने पर सांभर चौराहे की तरफ एक इओन गाड़ी, जिसका नंबर आरजे 14. टीई 1195 होना, जिसका चालक उसको ओवरटेक करता हुआ आकर उसने उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी होना, जिससे उनके चोटें आई होना तथा पैदल चल रही सोहनीदेवी के भी टक्कर मार दी होना, जिससे उसके भी चोटें आना, उक्त घटना रामदेव, राजू, आनन्दीलाल ने देखी होना, चालक कौन था याद नहीं आ रहा होना, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—02 होना, एक्सीडेंट इओन गाड़ी के चालक की गलती से होना तथा फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी—09 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में वह एक्सीडेंट में बेहोश नहीं हुआ होना, उसकी मां बेहोश हो जाना, चालक को पहले से नहीं जानना, घटना को काफी समय हो जाने के कारण ज्यादा कुछ याद नहीं होना, एक्सीडेंट होने से पहले उक्त गाड़ी को नहीं देखा होना, उक्त गाड़ी कैसे चल रही थी पता नहीं होना, एक्सीडेंट कैसे हुआ पता नहीं होना, फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी—09 में पुलिस वालों ने क्या लिखा उसे पता नहीं होना, उसके केवल हस्ताक्षर करवाये होना बताया है।

9. घटना के चश्मदीद गवाह पी0 ड 0—03 आनन्दीलाल ने मुख्य परीक्षा में रात 9.20 बजे वह व रामदेव राम रेस्टोरेंट के पास में खड़े होना, नन्दकिशोर व उसकी मां मोटरसाईकिल पर व सोहनी देवी पैदल—पैदल आ रहे होना, सांभर चौराहे पर सामने से ईओन गाड़ी, जिसके नंबर आरजे 14 टीई 1195 होना, जो आकर उन तीनों के टक्कर मार दी होना, दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का पीछा किया तथा उसे भाटीपुरा में रूकवाया तथा चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजय बताया होना, पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—08 होना तथा फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी—09 होना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में दुर्घटना के समय अंधेरा होना, उसने ईओन गाड़ी को एक्सीडेंट होने से पहले नहीं देखा होना, ईओन गाड़ी के चालक को पहले से नहीं जानना, एक्सीडेंट होने के बाद चालक वहां पर रूका नहीं होना, दुर्घटना करने वाली गाड़ी के नंबर व चालक को दुर्घटना के समय नहीं देखा होना बताया है। गवाह पी0 ड 0—11 रामदेव ने मुख्य परीक्षा में शाम 7—8 बजे वह व आनन्दी लाल

राम रेस्टोरेंट के पास में खड़े होना, नन्दकिशोर व उसकी मां मोटरसाईकिल पर व सोहनी देवी पैदल—पैदल आ रहे होना, सांभर चौराहे पर सामने से ईओन गाड़ी, जिसके नंबर आरजे 14 टीई 1195 होना, जो आकर उन तीनों के टक्कर मार दी होना, दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का पीछा किया तथा उसे त्योद के पास जाकर रूकवाया तथा चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजय बताया होना, दुर्घटना में नंदकिशोर, रेवंतीदेवी, व सोहनीदेवी का पैर टूट गया होना, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने आकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—08 बनाया होना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में ईओन गाड़ी को उसने व आनन्दीलाल ने टक्कर लगते हुए नहीं देखा होना, एक्सीडेंट के 10 मिनट बाद वह और आनन्दीलाल घटना स्थल पर पहुंच गये होना, टक्कर लगते हुए नहीं देखना व अजखुद में कहा कि टक्कर लगने के बाद गये होना, एक्सीडेंट के समय गाड़ी कौन चला रहा था पता नहीं होना, उस समय गाड़ी के नंबर नहीं देखा होना, जब चालक को त्योद में पकड़ा तब चालक दुर्घटना के बाद में बदल गया हो तो उसे पता नहीं होना, पुलिस में उसके कोई बयान नहीं होना, नक्शा मौका प्रदर्श पी—08 में पुलिस वालों ने क्या लिखा उसे पता नहीं होना बताया है।

10. गवाह पी0 ड 0—08 विकास कुमार ने मुख्य परीक्षा में उसके पास ईओन गाड़ी होना, जिसके नंबर आरजे 14 टीई 1195 होना, जिसका वह पंजीकृत स्वामी होना, उसकी इस गाड़ी को पुलिस थाना नावां वालों ने एक्सीडेंट के मामले में जप्त किया होना, उसकी गाड़ी पर एक्सीडेंट के समय सजय वर्मा चालक होना, उक्त गाड़ी मारोठ से नावां होते हुए त्योद जा रही होना, जिससे बीच में एक्सीडेंट हो गया होना, पुलिस ने उसे नोटिस देकर चालक का नाम पूछा तो उसने उसके जवाब में चालक का नाम संजय वर्मा निवासी त्योद होना बताया, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी—13 होना, जिस पर उसका जवाब व हस्ताक्षर होना, एक्सीडेंट के मामले में अभियुक्त संजय की नावां थाने में जमानत दी होना, जिसका जमानत मुचलका प्रदर्श पी—15 होना बताया है। जिरह में एक्सीडेंट के समय मौके पर मौजूद नहीं होना, एक्सीडेंट के समय उसका वाहन कौन चला रहा था नहीं बता सकना, प्रदर्श पी—13 का सी से डी भाग पुलिस वालों के कहे अनुसार लिखा होना बताया है। मैकेनिकल मुआयना संबंधी गवाह पी0 ड 0—01 महेश कुमार ने दिनांक 12.02.2018 को पीएस नावां में कानि के चालक के पद पर कार्यरत होकर उस दिन प्रकरण संख्या 17/18 में जब्तशुदा वाहन कार, जिसके नंबर आरजे 14 टीई 1195 , का मैकेनिकल मुआयना किया होना, वाहन का रंग सफेद होना तथा वाहन हुण्डई ईओन कंपनी का होना, वाहन को स्टार्ट करके चालकर देखा तो क्लच, गियर, ब्रेक तथा अन्य सभी पार्टस सही तरह से कार्य करते हुए पाये होना, वाहन के आगे का मैन शीशा क्षतिग्रत हो रखा होना, वाहन के खलाशी साईड से बंपर, मोटरगार्ड व आगे की फाटक क्षतिग्रस्त थी। वाहन के आगे का खलासी साईड से बोनट मुचा हुआ होना, वाहन चालू क्षति

में होना, मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है, जिस पर उसकी रिपोर्ट व सी से डी उसके हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में वाहन के किसी पेड़ से टकराने से या रोड़ डिवाईडर के टकराने से भी वाहन क्षतिग्रस्त हो सकना बताया है।

11. चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी0 ड 0–02 डॉ रामदेव दून ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 14.02.2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावां में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होकर उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर पर नंदकिशोर, रेवंतीदेवी, व सोहनीदेवी का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जो क्रमशः प्रदर्श पी–02, 04, व 06 होना व एक्सरे प्लेट क्रमशः प्रदर्श पी–03, 05 व 07 होना बताया है तथा जिरह में एक्सरे प्लटे उसके निर्देशन में तैयार नहीं हुई होना, उक्त चोट प्रतिवेदन पर सभी चोटों की अवधि अंकित नहीं होना, मजरूबान के एसएमएस अस्पताल जयपुर में करवाये गये ईलाज से संबंधी कागज डिस्चार्ज टिकिट व ऑपरेशन से संबंधी कागज वर्तमान में पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना बताया है। गवाह पी0 ड 0–10 राजू ने मुख्य परीक्षा में फर्द निरीक्षण बिना नंबरी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–09 जिस पर उसके हस्ताक्षर होना, जो पुलिस वालों ने उसके सामने देखा जो आगे से टूटी हुई होना, जिसकी लिखापढ़ी कर नंदकिशोर को सुपुर्द कर दी होना बताया है। जिरह में पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–09 में क्या लिखा आज याद नहीं होना, अनपढ़ होने के कारण नंबर लिखे हो तो पता नहीं होना बताया है।

12. अनुसंधान अधिकारी गवाह पी0 ड 0–05 शिवभगवान ने दिनांक 09.02.2018 को पुलिस थाना नावां में हैड कानि. के पद पर कार्यरत होकर उस दिन परिवादी रूडाराम की टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 पर एसएचओ सीआई द्वारा अवलोकन कर, कार्यवाही पुलिस अंकित कर, मुकदमा नंबर 17/2018 दर्ज कर, तफ्तीश उसके जिम्मे की होना, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किया होना, वाहन स्वमी विकास द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन आरसी, आईसी की नोटेरी से प्रमाणित प्रति पेश की जिसको शामिल पत्रावली किया गया होना, वाहन स्वामी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर चालक के बारे में पूछने पर उसने अपने जवाब में चालक का नाम संजय वर्मा होना बताया, अभियुक्त संजय वर्मा को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर घटना के समय चालक के बारे में पूछा तो स्वयं को चालक होना बताया। मजरूबान का मेडिकल व एक्सरे करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया होना, संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त संजय वर्मा के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहित का अपराध प्रमाणित मानकर उसे जमानत तलब की तो संजय वर्मा ने अपने वाहन स्वामी विकास कुमार को जमानती पेश किया। जमानत बंध पत्र प्रदर्श पी–15 होना, जिस पर मुल्जिम के व जमानती की फोटों अंकित होना व तस्दीक के हस्ताक्षर होना। इसके पश्चात् पत्रावली एसएचओ के समक्ष पेश की जिन्होंने माननीय न्यायालय में चालान पेश किया

होना बताया है। जिरह में रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 में दुर्घटना कारित करने वाले चालक का नाम नहीं होना, रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद दर्ज करवायी गई होना बताया है।

13. अभियोजन की ओर से पेश की गई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करे तो परिवादी ने अपनी तहरीर रिपोर्ट में वाहन कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक द्वारा गफलत, लापरवाही व तेजगति से चलाकर गलत दिशा में आकर मोटरसाईकिल के टक्कर मार देने पर नंदकिशोर व उसकी माता रेवंतीदेवी तथा पैदल चल रही सोहनीदेवी के चोटें आना अंकित किया है व घटना आनन्दीलाल व रामदेव द्वारा देखी जाना बताया है तथा ईलाज में व्यस्त होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलंब होना बताया है। न्यायालय साक्ष्य में परिवादी ने ईलाज में व्यस्त होने के कारण ही रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलंब होना बताया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुए दो दिन के विलंब का पर्याप्त कारण है, यह तथ्य अभियोजन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता, परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के नंबर अंकित किये गये हैं, किंतु न्यायालय साक्ष्य में वाहन के नंबर की जानकारी नहीं होना बताया है। चूंकि परिवादी रूडाराम अनपढ़ व्यक्ति है जिसे वाहन के नंबर स्वय के द्वारा देखे जाने या याद रखे जाना संभव प्रकट नहीं होता है। परिवादी की साक्ष्य के अनुसार परिवादी स्वयं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आनन्दीलाल व रामदेव द्वारा ही घटना देखी जाकर घटनास्थल से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में रेवंतीदेवी व सोहनीदेवी ने न्यायालय साक्ष्य में वाहन के नंबर की जानकारी नहीं होना एवं वाहन कौन चला रहा था इसकी जानकारी नहीं होना बताया है। परंतु उक्त दोनों आहतगण भी बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं है। जिनसे घटना के समय वाहन के नंबर देखे जाने अथवा साक्ष्य दिये जाने के समय तक वाहन के नंबर याद रखे जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी आहतगण नंदकिशोर एवं चश्मदीद गवाहन आनन्दीलाल व रामदेव है। जिसमें आहत नंदकिशोकर ने अपनी न्यायालय साक्ष्य में अपनी माता के साथ मोटरसाईकिल पर शादी में जाकर वापस आते समय सांभर चौराहे की तरफ से आ रहे होना, जहां पर गाड़ी नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक द्वारा ओवरटेक करते हुए चलाकर आकर उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दिया जाना एवं पैदल चल रही सोहनीदेवी के भी टक्कर मार देने से अपने व अपनी माता व सोहनीदेवी के चोटें आना बताया है। इस साक्षी से की गई जिरह में आहतगण के शरीर पर आई चोटें सड़क दुर्घटना में आई होने के संबंध में, दुर्घटना वाहन ईओन कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 से होने का तथ्य का कोई खंडन नहीं होता है। घटना के चश्मदीद साक्षी आनन्दीलाल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में नंद किशोकर व उसकी माता के मोटरसाईकिल पर आते समय, गाड़ी ईओन नंबर आरजे 14 टीई 1195, के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में आकर

उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार देना एवं बाद में पैदल चल रही सोहनीदेवी के भी टक्कर मार देने से चोटें आना बताया है। इस साक्षी ने यद्यपि मुख्य परीक्षा में घटना के बाद वाहन ईओन कार का पीछा कर के भाटीपुरा में उसे रूकवाया जाना व चालक से पूछे जाने पर उसका नाम संजय बताये जाने का कथन किया है। जबकि जिरह में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक मौके पर नहीं रूकने से उसका चालक कौन था नहीं बता सकना स्वीकार किया है। किंतु दुर्घटना वाहन कार ईओन नंबर आरजे 14 टीई 1195 से कारित होने एवं आहतगण के शरीर पर दुर्घटना से ही चोटें आने का तथ्य का कोई खंडन इस साक्षी से की गई जिरह में नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य चश्मदीद साक्षी रामदेव ने भी आहत नंदकिशोर व चश्मदीद गवाह आनन्दीलाल की साक्ष्य के अनुरूप ही वाहन कार ईओन नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक द्वारा उसे तेजगति, लापरवाही से एवं घुमाते हुए चलाकर नंदकिशोर व उसकी माता की मोटरसाईकिल के टक्कर मार देना, बाद में पैदल चल रही सोहनीदेवी के टक्कर मार देने से उनके चोटें आना तथा बाद में वाहन को आनन्दीलाल द्वारा पीछा कर के चालक को रूकवाया जाकर उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम संजय बताये जाने का कथन किया है। यद्यपि इस साक्षी ने भी पीछा करके रूकवाया जाने व वाहन चालक का नाम पूछना बताया गया है। आहतगण के शरीर पर आई चोटें सड़क दुर्घटना में होने, उक्त दुर्घटना गाड़ी नंबर आरजे 14 टीई 1195 से ही होने, के तथ्य का कोई खंड़न नहीं हुआ है। इस प्रकार आहत नंदकिशोर व चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य से दिनांक 7 फरवरी 2018 को आहत नंदकिशोर व उसकी माता रेवंती देवी की मोटरसाईकिल के तथा पैदल चल रही सोहनीदेवी के वाहन कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए सड़क से गलत दिशा में आकर टक्कर मार दिया जाने से आहतगण के शरीर पर चोटें आई होने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है।

14. जहां तब वाहन ईओन कार नंबर आरजे 14 टीई 1195 से ही उक्त दुर्घटना कारित होने के पश्चात् वाहन का चालक संजय ही होने के संबंध में यद्यपि दोनों चश्मदीद साक्षीगण अपनी मुख्य परीक्षा में वाहन का पीछा करके रूकवाये जाने के पश्चात् चालक से नाम पता पूछे जाने पर चालक द्वारा अपना नाम संजय बताये जाने का कथन किया है। यद्यपि जिरह में यह साक्ष्य खंडित रही है किंतु वाहन स्वामी पी0 ड 0–08 विकास कुमार ने स्वयं को वाहन कार ईओन नंबर आरजे 14 टीई 1195 का पंजीकृत स्वामी होना बताते हुए अपने वाहन नंबर आरजे 14 टीई 1195 पर घटना के समय चालक मुल्जिम संजय ही होना, अपने द्वारा धारा 133 एमवीएक्ट के नोटिस के जवाब में पुलिस को बताये जाने का कथन किया है। यद्यपि इस साक्षी ने जिरह में नोटिस के जवाब में मुल्जिम का नाम पुलिस के कहे अनुसार लिखना बताया है। किंतु उक्त तथ्य केवल मुल्जिम को बचाने के आशय से कथन किया जाना प्रकट होता है। क्योंकि मुल्जिम संजय के अलावा यदि अन्य कोई व्यक्ति वाहन

का चालक रहा होता, तो इसके संबंध में वाहन स्वामी द्वारा स्पष्ट रूप से अपने न्यायालय साक्ष्य में कथन किया जा सकता था। किंतु घटना के समय अन्य कोई व्यक्ति वाहन का चालक रहा हो ऐसा कोई कथन वाहन स्वामी द्वारा नहीं किया गया है एवं न ही नोटिस का जवाब में अपने हस्तकलमी होने से इनकार किया है। दुर्घटना के बाद वाहन स्वामी ने ही पुलिस के पास चालक की जमानत दी है। ऐसी स्थिति में केवल यह कथन किया जाना कि नोटिस के जवाब में चालक का नाम पुलिस के बताये अनुसार ही लिखा गया है, घटना के समय चालक मुल्जिम संजय नहीं होने के तथ्य स्थापित नहीं करता है। जहां तक वाहन का तेजगति व लापरवाही से चलाये जाने का प्रश्न है तो घटना के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में बनाये गये नक्शा मौका घटनास्थल में स्पष्ट रूप से अपनी साईड चल रही मोटरसाईकिल एवं पैदल चल रही आहत सोहनीदेवी को वाहन कार द्वारा गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दिया जाना दर्शाया गया है एवं चश्मदीद साक्षीगण द्वारा भी घटना के समय वाहन ईओन कार को तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा होने का कथन किया गया है तथा एक ही समय में वाहन को व पैदल चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारी जाना भी घटना के समय वाहन का तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा होना प्रकट करता है। दुर्घटना से आहतगण को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई है। चिकित्सकीय साक्षी एवं चोट प्रतिवेदन व एक्सरे प्लेटों से भी चोटें स्पष्ट रूप से साबित है।

15. इस प्रकार समस्त साक्ष्य से दिनांक 07.02.2018 को रात्रि करीब 9.20 बजे मुल्जिम संजय द्वारा ही वाहन ईओन नंबर आरजे 14 टीई 1195 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर विपरीत दिशा में जाकर आहतगण की मोटरसाईकिल एवं पैदल चल रही सोहनीदेवी के टक्कर मारकर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित किया जाना स्पष्ट रूप से संदेह से परे साबित होने से मुल्जिम संजय को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

16. अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र मोहनलाल उम्र 23 साल निवासी त्योद पुलिस थाना सांभर जिला जयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना कुचामन

दण्ड के प्रश्न पर

17. विद्वान अधिवक्ता मुल्जिम नें मुल्जिम का यह प्रथम अपराध होना एवं नवयुवक होकर सुधरनें की पूरी संभावना होना बताते हुये परीवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी नें मुल्जिम को अधिकतम सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

18. पत्रावली के अवलोकन से मुल्जिम का प्रथम अपराध होना प्रकट होता है, एवं मुल्जिम की आयु एवं सुधरने की तथा अपराध की पुनरावृति की सम्भावना नहीं है। इसीलिए मुल्जिम की परिवीक्षा की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। मुल्जिम का यह प्रथम अपराध होने से एवं भविष्य मे सुधरने की सम्भावना को देखते हुये कारित अपराध के लिये धारा 4 परीवीक्षा अधिनियम के तहत सदाचारी रहने एवं पुनरावृति नहीं करने की शर्त पर एक वर्ष की अवधि के लिये 10000/— रूपये अक्षरे दस हजार रूपये के प्रतिभूति सहित बन्धपत्र निष्पादित करने की शर्त पर परीवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा जाता है, एवं अभियोजन व्यय के रूप मे एक हजार पांच सौ रूपये अंकेही 1500/— रूपये जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा प्रश्नगत वाहन को सुपुर्दगी पर दिया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे तथा प्रश्नगत वाहन व कागजात संबंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना— कुचामन

20. निर्णय आज दिनांक 15 मई 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना— कुचामन